भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1033
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय और विशेष पॉक्सो न्यायालय

1033. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) और विशेष पॉक्सो न्यायालयों की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त संसदीय क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत या प्रस्तावित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों और विशेष पॉक्सो न्यायालयों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा पिछले दो वर्षों के दौरान दर्ज किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार का उक्त संसदीय क्षेत्र में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, कुल 67 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी), जिसके अंतर्गत 56 अनन्य रूप से पॉक्सो न्यायालय भी हैं, त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अधीन कार्यात्मक हैं । इनमें से दो एफटीएससी, जिसके अंतर्गत एक अन्नय पॉक्सो न्यायालय भी है, रतलाम जिले में कार्यात्मक हैं, जबकि एक एफटीएससी झाबुआ जिले में,

बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कार्यशील हैं । अलीराजपुर जिले में कोई भी एफटीएससी कार्यात्मक नहीं है ।

पिछले दो वर्षों के दौरान रतलाम और झाबुआ जिलों के एफटीएससी, जिसके अंतर्गत अन्नय पॉक्सो न्यायालय भी हैं, के समक्ष संस्थित, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

जिला	वर्ष	संस्थित मामले	निपटाए गए मामले	लंबित मामले*
रतलाम	2024	472	260	691
	2025	343	338	696
झाबुआ	2024	266	135	418
	2025	231	154	495
*संबंधित वर्ष की 31 दिसंबर को लंबित ।				

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, जिसके अंतर्गत विशेष न्यायालय भी हैं, की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्र के भीतर, संबद्ध उच्च न्यायालयों से परामर्श पर की जाती है । तदनुसार, अतिरिक्त एफटीएससी की स्थापना पर विचार, राज्य सरकार, संबद्ध उच्च न्यायालय से परामर्श पर, पात्र लंबित मामलों और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है । वर्तमान में, उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अतिरिक्त एफटीएससी की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।
